

मध्यप्रदेश शासन
गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 17-01/2015/दो-ए(3)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29 / 06 / 2015

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
(मध्यप्रदेश)

विषय :- शासकीय वाहनों के किराये दरों में संशोधन बाबत।
संदर्भ:- गृह विभाग का आदेश क्रमांक 361/2005/ दो-ए(3) भोपाल, दिनांक 02.04.
2005

— 00 —

राज्य शासन एतद् द्वारा पूर्व में जारी आदेश को संशोधित करते हुए मध्यप्रदेश स्टेट गैरेज द्वारा अन्य विभागों को किराये पर दी जाने वाले पेट्रोल चलित एवं डीजल चलित शासकीय वाहनों की दरों में निम्नानुसार अनुसार संशोधन किया जाता है :-

1-	एम्बेसेडर पेट्रोल चलित 10 घंटे के लिये अथवा 100 कि.मी. 5 घंटे के लिये अथवा 50 कि.मी.	- रुपये 12/- प्रति किलो मीटर - रुपये 1200/- - रुपये 600/-
2-	सफारी डीजल चलित 10 घंटे के लिये अथवा 100 कि.मी. 5 घंटे के लिये अथवा 50 कि.मी.	- रुपये 14/- प्रति किलो मीटर - रुपये 1400/- - 700/-
3-	स्कार्पियो डीजल चलित 10 घंटे के लिये अथवा 100 कि.मी. 5 घंटे के लिये अथवा 50 कि.मी.	- रुपये 14/- प्रति किलो मीटर - रुपये 1400/- - रुपये 700/-
4-	इनोवा. डीजल चलित 10 घंटे के लिये अथवा 100 कि.मी. 5 घंटे के लिये अथवा 50 कि.मी.	- रुपये 14/- प्रति किलो मीटर - रुपये 1400/- - रुपये 700/-

//2//

5-	इण्डिगो पेट्रोल/डीजल चलित	-	रुपये 11/-प्रति किलो मीटर
	10 घंटे के लिये अथवा 100 कि.मी.	-	रुपये 1100/-
	5 घंटे के लिये अथवा 50 कि.मी.	-	रुपये 550/-

2/- यह दरे आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

20/
(बी. आर. सुनहरे)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह(सामान्य) विभाग

भोपाल, दिनांक 20/06/2015

क्रमांक एफ 17-01/2015/बो-ए(3)

प्रतिलिपि:-

- 1- महालेखाकार, म0 प्र0 ग्वालियर/भोपाल।
 - 2- रजिस्ट्रार म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर
 - 3- अवर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 - 4- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
 - 5- आवसीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली।
 - 6- सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
 - 7- राज्य शिष्टाचार अधिकारी, मंत्रालय, भोपाल।
 - 8- अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना)/(अधीक्षण) मंत्रालय, भोपाल
 - 9- मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के निज सचिव भोपाल
 - 7- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय के निज सचिव भोपाल।
 - 8- अधीक्षक, मध्यप्रदेश स्टेट गैरेज, भोपाल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
- 9- फोल्डर प्रति।

20/
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह(सामान्य) विभाग